न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 61 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हीराराम पुत्र छोगाराम
2. वालाराम पुत्र छोगाराम
3. कोहलाराम श्री छोगाराम
4. सुजादेवी बेवा छोगाराम
5. अर्जुनराम पुत्र नागजी
6. ताराराम पुत्र नागजी
7. छगनादेवी बेवा नागजी
8. कृष्णचद पुत्र नागजी जाति राजपुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.तिलोका पुत्र प्रभु
2.नागा पुत्र प्रभु
3.हुकमाराम पुत्र तोगाजी
4.अर्जुनसिंह पुत्र किस्तुराजी
5.गंगादेवी पत्नी सोनाजी
6.जयसिंह पुत्र सोनाजी
7.नैनाराम पुत्र दलाराम
8.पेमाराम पुत्र दलाराम
9.भोपालसिंह पुत्र किस्तुराराम जाति राजपुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
10.तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 14 / 2017 बअनवान तिलोका वगै. बनाम हीरा वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री उम्मेदसिंह चम्पावत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 23.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1325 ग्राम ईटवाया में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1321 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार सिवाना ने अपीलांटगण को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौका रिपोर्ट पर स्वयं मातहत अदालत ने दिनांक 06.09.2019 को अस्पष्ट रिपोर्ट हेतु तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा, जो कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, उसके उपरांत बिना सुने पूर्व की तारीख में उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.09.2020 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई जो दिनांक 30.03.2021 को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह अभिकथन किया कि खसरा नम्बर 1322 के सेढे पर हरे रंग से दर्शायी गई भूमि पर ग्रेवल सड़क विद्यमान है तो उक्त सड़क से जुड़ने के लिए खसरा नम्बर 1323 जो कि प्रार्थी उतरदाता संख्या 01 व 02 का सगा भाई की खातेदारी भूमि है उसमें से आसानी से ग्रेवल सड़क से जुड़ा जा सकता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में हस्तगत आवेदन में पारित आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय श्री द्वारा यह निर्देश दिये कि सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए एवं अन्य खातेदारों को पक्षकार बनाकर उपरोक्त प्रकरण में हस्तगत पत्रावली को निर्णित किया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1321 ग्राम ईटवाया में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया है। अपीलांटगण द्वारा आपति पर आपति पेश कर रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 25.12.2017 जो तहसीलदार सिवाना स्वयं ने मौके पर जाकर तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेंटस की खातेदारी में आने जाने हेतु अन्य कोई राजकीय कटाण रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पारित किया गया। रेसपोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 14/2017 बअनवान तिलोका वगै. बनाम हीरा वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिंगल्या)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर